

पत्रांक-बजट-34-मु0व्य0दु0बी0यो0// (दि ओरियन्टल इश्योरेस क0लि0)/

1216

महत्वपूर्ण / तुरन्त

/वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, 30प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 31/3/2017

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) / (कारपोरेट सर्किल),  
वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियों के हित में लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (दि0 31-03-2016 से दि0 30-03-2017) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-448 दिनांक 29-08-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (दिनांक 31-03-2016 से दिनांक 30-03-2017) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1441/बी/क0नि0-6-2015-20 बी (29)/12 दिनांक 23-11-15 के क्रम में सम्बन्धित बीमा कम्पनी के द्वारा "वाटर मार्किंग इन्प्रेव्ड लोगो", बायो मैट्रिक सुविधा, क्यू0आर0कोड युक्त कार्ड बनाये जाने की प्रगति की जानकारी हेतु आपसे निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु आपके द्वारा अभी तक उक्त सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।

उक्त के संदर्भ में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्डों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराना तथा बीमा कम्पनी से प्राप्त कार्डों को सम्बन्धित को वितरित कराया सुनिश्चित करें :-

**प्रारूप**

क्र0सं0	संभाग में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	कुल उपलब्ध कराये गये कार्डों की संख्या	अवशेष कार्डों की संख्या	अन्य अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

31/03/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।
- 2- वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक, सर्वश्री ओरियण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, मण्डलीय कार्यालय-2, नवाँ तल, विकास दीप भवन, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ।

(सुभाष चन्द्र यादव)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।